न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 160/2023

1. इसराईल पुत्र नवल खाँ जाति मेव
2. नसरू पुत्र सरदार (फौत)
   - 2/1 निसार
   - 2/2 इमरान
   - 2/3 वसीम

   पिसरान नसरू जाति मेव
3. सुलेमान पुत्र मौजी (फौत)
   - 3/1 अब्दुल
   - 3/2 अली मौहम्मद
   - 3/3 इस्लाम
   - 3/4 ताहिर
   - 3/5 सहजाद
   - 3/6 उन्नस

   पिसरान सुलेमान जाति मेव निवासीयान गांव कंचननेर तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. दीनू पुत्र सगरू (फौत)
   1/1 परवीना पुत्री दीनू पत्नी सिरदार कौम मेव निवासी कंचननेर तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
2. आंसू पुत्र साहब खाँ
3. हसन पुत्र साहब खाँ
4. लाडू पुत्र कालू
5. चन्दरी बेबा होशियार
6. लक्खी
7. धीरी
8. छुट्टन

   पिसरान वुड़ी
9. शिताव पुत्र मुराद
10. मीनी पुत्र हमीद नवीरा बगदू
11. तोला पुत्र मौहर खां
12. जाकर पुत्र हमीद
13. रीवला पुत्र मौहर खाँ
14. जब्बार पुत्र जोरे खाँ
15. अब्बुली
16. सहीद

    पिसरान जोरे खां
17. मजीद
18. दीन

    मौहम्मद पिसरान रमजान
19. चीबी
20. रत्ती

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

21. मखमूला पिसरान छोटे खाँ
22. साहब खां
23. रूजदार
24. सूबेदार } पिसरान हुरमत
25. इस्लाम
26. सत्तार
27. सूबेदार } पिसरान शादी
28. मसरू
29. टुण्डी
30. हनीफ } पिसरान असरफ
31. साहून पुत्र रहमान
जातियान मेव निवासीयान गांव कंचननेर तहसील पहाडी (भरतपुर)
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री बाबूलाल शर्मा वकील वादीगण
श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1/1

दिनांक :– 08/05/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 954/0.20, 957/0.23 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 1225/0.19, 1228/0.24 हैक्टर बांके ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी पहाडी में स्थित है। वादीगण के पिता क्रमशः नवल खां , सरदार, सुलेमान आपस में खास भाई है जो बाबा मौजी की संतान है जो तीनो भाई आपस में सामिल रहते थे तथा नवल खां सरदार, मौजी का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान वादीगण है। इसी प्रकार मंगल , बगदु , मौहरखां , जोर खां पिसरान दलपत , छोटे खां , हुरमत, शादी पिसरान हयात, रहमान पुत्र कल्लू, साहब खां व रमजान फौत हो चुके है। जिनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है आराजी मुतदाविया वादी नं0 1 व 2 का दादा वादी नं0 3 का पिता मौजी पुत्र मिहरू राजस्थान काश्तकारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के फोर्स में आने से पूर्व से ही वाहैसियत गैर मौरोसी खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उस वक्त के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुताबिक कानून व मौका मौजी को वहैसियत गैर मौरोसी दर्ज किया गया इस प्रकार से आराजी मुतदाविया पूर्ण रूप से वादीगण के पिता व बाबा मौजी की गैर मौरूसी की आराजी थी आराजी मुतदाविया को वादीगण के पिता व बाबा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने से पूर्व ही वहैसियत गैर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

मौरूसी काश्त करते चले आ रहे है और राजस्व रिकॉर्ड में भी आराजी मुतदाविया पहले से ही वादीगण के पिता व बाबा के नाम गैर मौरूसी चली आ रही थी जिसके आधार पर मौजी पुत्र मिहरू को गैर मौरूसी के स्थान पर व काश्त का इन्द्राज के साथ–साथ एलॉटी और उसके बाद खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया इस प्रकार वादीगण के पिता व बाबा आराजी मुतदाविया को वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हैं। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 बहुत चालाक प्रवृत्ति आदमी है जिसने राजस्व कर्मचारियों से साज कर बिना किसी विधिक अधिकार व बिना किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना पिता व बाबा वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर अपने नाम कतई गलत रूप से खिलाफ कानून व मौका कब्जा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करा लिया । प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी से कभी किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं रहा है और ना ही इस वक्त है । आराजी मुतदाविया को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 31 व उनके पितागण को रहन कर दिया गया जबकि वक्त उक्त इन्द्राज के समय ना तो प्रतिवादी नं0 1 का आराजी से कोई संबन्ध था और ना ही कब्जा काश्त थी। वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे में जबरन बेदखल कर प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहते है जिसकी बाबत प्रतिवादीगण ने दिनांक 20/06/2006 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद या अन्य किसी प्रकार से ना हो सकेगी। आराजी की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है तहसीलदार साहब पहाडी जिसके प्रतिनिधि है राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है इसलिए उनको बतौर फौरमल प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि मद नं0 2 में वर्णित आराजी बांके ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ने जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि दावा महज प्रतिवादनी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रतिवादनी के खिलाफ उक्त गलत तौर पर इन्द्राजात सभी मुर्तहन ने एक गिरोह बना रखा है जो नाजायज तरीके से आराजी को हडपना चाहते है कुल आराजी से दो नम्बरान पर मेरे पिता ने गिरवी रखकर कुछ पैसे लिये थे जिनको कब्जा भी नहीं दिया गया था लेकिन उन्होने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सालिम आराजी पर मुर्तहन का इन्द्राज करा लिया कुछ साल बाद ही मेरे पिता ने इनके द्वारा दी गई रकम भी वापिस कर दी कब्जा हमारे पास ही था लेकिन बदनियति से पैसा वापिस होने पर भी इन व्यक्तियों ने रहन का इन्द्राज कलमजन नहीं कराया जो खिलाफ कानून व मौका है अर्जी दावा में वादीगण स्वयं स्वीकार करते है कि रहन का इन्द्राज स्वयं रहन ने ही राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत दर्ज कराया है और वह सही है भी तो भी म्याद अनुसार खत्म हो जाना चाहिए था। रहन का इन्द्राज न्यायालय के आदेश अनुसार खत्म भी किया जा चुका है और काश्त का इन्द्राज अब कानूनन रहन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार रहन का इन्द्राज कलमजन होने से स्वतः ही कानूनन काश्त का इन्द्राज खत्म हो जाता है। अतः जरिये काउण्टर क्लेम काश्त का इन्द्राज कलमजन किया जाकर प्रतिवादी के खाते से इसे कलमजन किया जावे । मुझ प्रतिवादनी ने यह समझा की मुर्तहन का इन्द्राज कलमजन होने के साथ ही काश्तकारी इन्द्राज कलमजन हो गया

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

होगा। परन्तु दिनांक 10/01/2011 को नकल जमाबन्दी लेने पर इस बात का इल्म हुआ कि केवल रहन व मुर्तहन शब्द ही कलमजन हुआ है काश्त का इन्द्राज कलमजन नहीं है। वादीगण के पिता की काश्त खिलाफ कानून व खिलाफ मौका थी अगर वह सही भी होती तो भी कानूनन सिकमी के वारिसान को किसी भी प्रकार के हक पैदा नहीं होते है। अतः जबाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें एवं इन्द्राज काश्त नवल खां, सिरदार, या उनके वारिसान तथा सुलेमान का नाम कलमजन किया जावें।

वादीगण ने मय वकील उपस्थित होकर जबाब काउन्टर क्लेम वादीगण निम्न प्रकार पेश किया । आराजी मुतदाविया वादीगण वजमाने बुर्जुगान वहैसियत गैर मौरूसी काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । प्रतिवादी नं0 1 मृत्तक दीनू ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर सम्वत 2018 में अपने नाम बिना किसी आदेश के दर्ज करा लिया जबकि सम्वत 2012 व उसके पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान का कब्जा व काश्त आज तक बदस्तूर चला आ रहा है वर्तमान में भी वादीगण काबिज आराजी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी काश्त नहीं की और ना ही प्रतिवादी नं0 1 दीनू की पुत्री परमीना ने काश्त की है जबकि वह तो अपने पति सिरदार के साथ गांव रोशियाका में रहती है। आराजी मुतदाविया पहले से ही वादीगण के बुजुर्गान के कब्जे काश्त में रही तभी से आज तक बदस्तूर काबिज आराजी है। प्रतिवादी संख्या 1 मृत्तक दीनू द्वारा गिरवी रखने की प्रविष्टी राजस्व कर्मचारियों से साज कर दर्ज करा ली जो गलत है दीनू व उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा । प्रतिवादी संख्या 1/1 को कोई विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। आराजी वादीगण के कब्जे के आधार पर वहैसियत खातेदार काश्तकारी की है। प्रतिवादनी के मृत्तक पिता दीनू व प्रतिवादनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड गैर खातेदार का इन्द्राज कलमजन होकर वादीगण को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 954/0.20, 957/0.23 हैक्टर बांके ग्राम कंचननेर पर वादीगण के बाबा पिता तथा बाबा और पिता के फौत हो जाने पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोस में आने से पूर्व से ही वहैसियत गैर मौरूसी काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण देरीना कब्जे व काश्त के आधार पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना कब्जे काश्त के राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारियों से साज कर आराजी मुतदाविया का अपने नाम गैर खातेदार दर्ज करा लिया है।

.....वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 20/06/2006 को कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत एवं रहन वय मुन्तकिल की धमकी दी है।

Scanned with OKEN Scanner

.....वादीगण

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुतदाविया अरसे दराज से दीनू पिता प्रतिवादनी की गैर खातेदारी में चली आ रही है। वादीगण का कभी भी किसी प्रकार का संबन्ध नहीं है।

.....प्रतिवादी

तनकी संख्या 6 :– आया आराजी मुतदाविया में मुर्तहन राजस्व कर्मचारियो से साज करके वादीगण ने दर्ज कराया है।

.....प्रतिवादी

तनकी संख्या 7 :– आया प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत काबिले खारिजी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 8 :– आया प्रतिवादी का जबाब दावा व काउन्टर क्लेम का सत्यापन के अभाव में काबिले खारिजी है।

.....वादीगण

9:– दादरसी :–

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 इसराईल, पी0डब्लू0 2 रहमू, पी0डब्लू0 3 हकमू के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये।

पक्षकारान ने दिनांक 03/09/2015 को राजीनामा इस आशय का पेश किया कि हम फरीकेन में राजस्व लोक अदालत की प्रेरणा से एवं गावं के मौजिज व्यक्तियों ने हमारा राजीनामा करा दिया है अब हम मेल व प्यार से रह रहे है आराजी खसरा नम्बर 954/0.20, 957/0.23 हैक्टर बांके ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी में स्थित है जिसे पूर्व से ही वजमाने बुजुर्गान से वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी दीनू ने उसके वारिसान लडकी परमीना ने आराजी मुतदाविया पर कभी काश्त नहीं की है परमीना की शादी के बाद व हमेशा अपने पति के साथ ग्राम रोशियाका तहसील कामां में रह रही है राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादनी परमीना के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से नाम दर्ज होता चला आ रहा है जिसे कलमजन किया जाकर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। दावा वादीगण वर विनाय राजीनामा डिक्री किया जावे। आराजी मुतदाविया वादीगण के खातेदारी काश्तकारी की घोषणा की जावें। अतः यह राजीनामा हमने अपने पूर्ण होश हवाश व दुरूस्ती में बिना किसी दबाब के लिख दीना की सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। इन्तकाल नम्बर 178 से पूर्व में खातेदारी दी जा चुकी है। परन्तु सहवन भूल से अगली जमाबन्दी में इन्द्राज से सहवन रह गई एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 ने भी अपना राजीनामा पेश किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य एवं

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 954/0.20, 957/0.23 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 1225/0.19, 1228/0.24 हैक्टर बांके ग्राम कंचननेर तहसील पहाडी पर 1/3–1/3–1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)